रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 22, 1972/वैशाख 2, 1894

No. 88] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 22, 1972/VAISAKHA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April 1972

No. 20/1/72-AIS(I).—In Notification No. 20/1/72-AIS(I), dated the 4th March, 1972 of the Department of Personnel published in Part I Section I of the Gazette of India dated the 4th March, 1972, the following amendments may be carried out in the Rules for the Indian Administrative Service etc. Examination, 1972:

(i) For Rule 7(a) of the Rules, the following may be substituted, namely:—

"7(a)(i) A candidate for the Indian Administrative Service, the Indian Foreign Service and for all the remaining Services, excepting the Indian Police Service and Delhi, and Andaman & Nicobar Islands Police Service, mentioned in rule 1 above must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 26 years on the 1st August, 1972, *i.e.* he must have born not earlier than 2nd August, 1946 and not later than 1st August, 1951.

(ii) A candidate for the Indian Police Service and Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service, must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 26 years on the 1st August, 1972, i.e., he must have been born not earlier than 2nd August, 1946 and not later than 1st August, 1952".

(ii) In Rule 7(b), for the figures "24" the figures "26" shall be substituted.

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल 1972

सं० 20/1/72-अ०भा०से० (I).—दिनांक 4 मार्च, 1972 के भारत के राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित कार्मिक विभाग की तारीख 4 मार्च, 1972 की अधिसूचना संख्या 20/1/72-अ भा से (I) में भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा, 1972 संबंधी नियमों में निम्नलिखित संशोधन किये जायें :

(i) नियमों के नियम 7(क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिये जायें, अर्थात् :—

"7(क) (i) उपर्युक्त नियम 1 में उल्लखित भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा बाकी समस्त सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली तथा अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा को छोड़कर, के उम्मीदवार 1 अगस्त, 1972 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों तथा वे 26 वर्ष के न हुए हों अर्थात् वे 2 अगस्त, 1946 से पहले तथा 1 अगस्त, 1951 के बाद उत्पन्न न हुए हों ।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के उम्मीदवरा 1 अगस्त, 1972 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों तथा 26 वर्ष के न हुए हों अर्थात् वे 2 अस्गत, 1946 से पहले तथा 1 अगस्त, 1952 के बाद उत्पन्न न हुए हों" ।

(ii) नियम 7(ख) में, अंक "24" के स्थान पर अंक "26" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972